

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: प.1/प्रति.3/नर्स.कम्पा./भर्ती/पार्ट-1/2018/5857-65

दिनांक: 24.04.2020

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: प.1/प्रति.3/न.क./भर्ती/2018/15199-15200 दिनांक 06.10.2018 के द्वारा राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 संशोधित नियम 2010 एवं संशोधित नियम 2013 के अन्तर्गत कम्पाउन्डर नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 1/2018 के अन्तर्गत डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर से प्राप्त संशोधित वरीयता सूची एवं पत्र दिनांक 07.02.2020 के संशोधन अन्तर्गत निम्नांकित आशार्थियों को कम्पाउन्डर नर्स जूनियर ग्रेड पे मेट्रिक्स एल-10 में कार्य ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) पर मासिक नियत पारिश्रमिक (फिक्स रिमूनरेशन) रु. 23700/- (अक्षरे रूपये तेईस हजार सात सौ रूपये मात्र) पर निम्न शर्तों पर नियुक्ति प्रदान करते हुए पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आयुर्वेद औषधालय में किया जाता है :-


क्र.सं.	वरियता क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	लिंग	संवर्ग	पदस्थापन स्थान राज.आयु.औष.
1	373	सुरेश कुमार	किशाना राम	07-07-1991	male	OBC(NC)	खुनखुना-नागौर

नोट:-

1. उक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में लम्बित एस.एल.पी. 2476/2020 एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में विचाराधीन याचिका संख्या 23842/2018 एवं 1083/2020 के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।
2. माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल. रिट पिटीशन संख्या 1744/2020 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 31.01.2020 की अनुपालना में एक पद रिक्त रखा गया है जो उक्त याचिका में पारित होने वाले आगामी आदेश या अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।
3. उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल. रिट पिटीशन संख्या 2479/2020, 2475/2020, 3370/2020 एवं 3613/2020 में पारित होने वाले आगामी आदेश या अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।

शर्तें/निर्देश:-

1. उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी उपस्थिति उप निदेशक आयुर्वेद विभाग, नागौर कार्यालय में आवश्यक रूप से देंगे। निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।
2. उपस्थिति के समय पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट/सक्षम स्तर का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र/सन्तान वचन पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
3. अभ्यर्थी कार्यग्रहण करने से पूर्व शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके सम्बन्ध में यदि कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी/संदिग्ध अथवा परिवर्तित किया हुआ पाया गया तो उसे सेवा से कभी भी पृथक किया जा सकेगा तथा वह आपराधिक दण्डक कार्यवाही का भागी होगा।


(सीमा शर्मा)
निदेशक

राजस्थान सरकार

राजस्थान आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.1/प्रति.3/नर्स.कम्पा./भर्ती/पार्ट-II/2018/5857-65

दिनांक: 29.04.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री महोदय, राजस्थान-सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान, जयपुर ।
4. उप विधि परामर्शी, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर।
5. अति.निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर
6. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग, नागौर।
7. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को वास्ते वेबसाईट अपलोड ।
8. संबंधित आशार्थी श्री
9. सामान्य पत्रावली ।

(Signature)
 (महेन्द्र माथुर)
 सहायक निदेशक

क्र.सं.	नाम	पद	पता	सं.सं.	दिनांक	स्थिति
1
2
3
4
5
6
7
8
9

प्रति.3/नर्स.कम्पा./भर्ती/पार्ट-II/2018/5857-65

राजस्थान आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर

...

(Signature)
 (महेन्द्र माथुर)
 सहायक निदेशक